न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 245/17 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान

मगाराम वगैरा बनाम ठाकराराम वगैरा

वकील प्रार्थीगण :– श्री वीरमाराम धारासर

विप्रार्थीगण वकील :– श्री उदयभानुसिंह राठौड़, श्री भैराराम बेनिवाल

निर्णय

दिनांक 22.05.18

प्रार्थीगण मगाराम पुत्र मूलाराम वगैरा जाति जाट, निवासी शोभाला जेतमाल, पटवार क्षेत्र शोभाला जेतमाल, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की जोत मौजा शोभाला जेतमाल, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 302/131 रकबा 52.02 बीघा, खसरा सं. 285/111 रकबा 20.14 बीघा स्थित है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 304/131 रकबा 23.07 बीघा, खसरा सं. 533/131 रकबा 49.13 बीघा, खसरा सं. 534/131 रकबा 49.13 बीघा, खसरा सं. 535/131 रकबा 49.13 बीघा, खसरा सं. 305/131 रकबा 43.13 बीघा, खसरा सं. 444/124 रकबा 147.01 बीघा, खसरा सं. 115 रकबा 107.05 बीघा खसरा सं. 421/115 रकबा 116.18 बीघा, खसरा सं. 417/115 रकबा 188.15 बीघा, भूमि मौजा शोभाला जेतमाल में रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चौहटन से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण सं. 1 से 14 व 29 से 39 की ओर से अधिवक्ता श्री भैराराम बेनिवाल ने

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

वकालतनामा मय ईकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि हम विप्रार्थीगण प्रार्थीगण को रास्ते हेतु भूमि निःशुल्क देने के लिए तैयार है, जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी सं. 15 से 28 की ओर से अधिवक्ता श्री उदयभानुसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प शोभाला जेतमाल में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा अध्ययन अवलोकन किया गया ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय़ संगत है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा रहा है वह तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका फर्द मय नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को दिया जाता है। उक्त रास्ता तहसीलदार द्वारा पेश मौका फर्द मय नक्शानुसार दिया जाना है । उसकी अनुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें। तहसीलदार द्वारा पेश फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कोर्ट/कैम्प शोभाला जेमाल में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन